

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पेंशन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2017

विषय :- श्री हरनाम सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री हरनाम सिंह, पी0सी0एस0, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.9.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों की दो प्रतियां संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हरनाम सिंह के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री हरनाम सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0, 51 अशोक विहार (श्रीकृष्ण मन्दिर के सामने) केदारनगर, शाहगंज, आगरा-282010 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
इरला चेक (वे०प० अनुभाग),  
उ०प्र०शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर 2017

विषय :- श्री हरनाम सिंह, से०नि० पी०सी०एस० को देय अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हरनाम सिंह, पी०सी०एस०, जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.9.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दिनांक 1.7.1999 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री हरनाम सिंह, से०नि० पी०सी०एस०, 51 अशोक विहार (श्रीकृष्ण मन्दिर के सामने) केदारनगर, शाहगंज, आगरा-282010 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या: 106/2017/3103/दो-2-2017-28/2(10)/2017  
लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2017

### आदेश

श्री हरनाम सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-जी0ए0यू0-64483 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया है।

2- श्री हरनाम सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-21/मिलान डायरी-105/41838, दिनांक-27.7.2017 के अनुसार वर्ष 2015-16 तक कुल जमा धनराशि रू0-23,00,238.00 (रूपये तेईस लाख दो सौ अडतीस मात्र) जिस पर माह 3/2016 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-20,70,214.20 अर्थात रू0-20,70,214.00 (रूपये बीस लाख सत्तर हजार दो सौ चौदह मात्र) होती है, के भुगतान किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26.12.84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4ए0जी058/दस-84-510/84, दिनांक 12.1.1990 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री हरनाम सिंह के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, झांसी सम्भाग, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री हरनाम सिंह, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
4. श्री हरनाम सिंह, से0नि0 पी0सी0एस0, 51 अशोक विहार (श्रीकृष्ण मन्दिर के सामने) केदारनगर, शाहगंज, आगरा-282010

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।